न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 353/2012

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – **1.जोगा पुत्र बुला**
जाति भील, निवासी रड़ली, तहसील बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.जोगा 2.घमण्डा 3.देवा 4.बलवन्ता पि.सूजा 5.लैली पत्नि सूजा
6.लूणा 7.लाला 8.शंकर पि.तारा 9.वनू पत्नि तारा
10.चेतन 11.बीजला 12.पदमा 13.भंवरा 14.जोरा पि.गुणेशा
15.अजा पुत्र उतमा जाति भील, निवासी रड़ली (सणाऊ)
16.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री शाकर खान**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया (विप्रार्थी सं. 15)**

निर्णय

दिनांक :– 15.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 15 पूर्व पुरूष उमेदा के वारिशान है । जिनकी पैतृक व संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 204 रकबा 15.15 बीघा एवं खसरा सं. 205 रकबा 18.12 बीघा मौजा रड़ली पटवार हल्का सणाऊ, तहसील चौहटन में आये हुए है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है। जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में प्रार्थी के पिताजी का नाम अंकित है। उसके बाद प्रार्थी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद संवत् 2023–2026, 2027 से 2030, 2031 से 2034, 2034 से 2037 तक प्रार्थी का 1/4 हिस्सा खातेदारी में अंकित था। लेकिन संवत् 2038 से 2041 की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों की भूल से प्रार्थी का नाम अंकित होने से रह गया। प्रार्थी के पिताजी के फौत होने पर प्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसके बाद लम्बे समय तक प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता रहा , लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने कब प्रार्थी का नाम हटाया प्रार्थी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई, । वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में 3/4 हिस्सा ही जमीन अंकित है। प्रार्थी का 1/4 हिस्सा की जमीन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम के साथ विलोपित हो चुकी है जो राजस्व कर्मचारियों की भूल से हुआ । जिसको किसी भी स्तर पर सुधारा जा सकता है। प्रार्थी का अपनी 1/4 हिस्सा की भूमि पर लगातार कब्जा निविर्वाद चल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा रड़ली, पटवार क्षेत्र सणाऊ, तहसील चौहटन के खसरा सं. 204 रकबा 15.15 बीघा, खसरा सं. 205 रकबा 18.12 बीघा में राजस्व कर्मचारियों की भूल से हटाये गये प्रार्थी के नाम का पुनः अंकन करने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल पूर्व में प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया । विप्रार्थी सं. 15 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी का पेश किया । जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा No-Objection किया। लिहाजा विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही मनसुख की गई। उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील विप्रार्थी सं. 15 की ओर से No-Objection किया गया।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सणाऊ में पेश हुई। प्रार्थी जोगाराम स्वयं उपस्थित हुआ । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट एवं फर्द का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी नकल संवत् 2019 से 2022 में प्रार्थी के पिता का नाम अंकन है। उसके बाद संवत् 2023 से 2026, 2027 से 2030, 2031 से 2034, 2034 से 2037 तक प्रार्थी का नाम अंकन है। लेकिन जमाबन्दी संवत् 2038 से 2041 व उसके बाद प्रार्थी का नाम अंकन नहीं है। जो आवेदन में वर्णित तथ्यो अनुसार राजस्व कर्मचारियों की भूल से अंकित होना रह गया ।

इस प्रकार विवेचना से न्यायालय के मत में उपरोक्त वादग्रस्त खसरा सं. 204 रकबा 15.15 बीघा एवं खसरा सं. 205 रकबा 18.12 बीघा मौजा रड़ली पटवार हल्का सणाऊ, तहसील चौहटन में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा पुनः अंकन करना न्यायोचित होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि खसरा सं. 204 रकबा 15.15 बीघा एवं खसरा सं. 205 रकबा 18.12 बीघा मौजा रड़ली पटवार हल्का सणाऊ, तहसील चौहटन में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा पुनः अंकित किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प सणाऊ में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 901 दिनांक 18.05.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 353 / 12 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान जोगा बनाम बनाम जोगा वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन